अवन्याय हित में इश्तहार पर मौका अवसर दिया जाता है। पत्रावली वास्ते बहस प्रार्थना मौका 11-8-25 को पेश हो।

11-8-25 पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित प्रकरण में वकील प्रार्थी बहस हेतु अवसर चाहते हैं। अवसर दिया जाता है इस निर्देश के साथ कि आइन्दा पेशी पर बहस नहीं कि गई तो एक तरफा बहस सुन कर आदेश कर दिया जावेगा। पत्रावली वास्ते बहस प्रा.पत्र मो दिनांक 18-8-25 को पेश हो।

18-8-25 पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित प्रकरण में उभय पक्ष की बहस सुनी गई, प्रकरण में वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में इस प्रकार से निवेदन किया है कि मौजा चेची प.ह. चेची की खाता सं. 247 आ सं. 611, 904, 905, 908, 914, 917, 921, 924, 925, 929, 930, 934, 935, 937, 940, 941, 942 कुल किता 17 कुल रकबा 2.2090 है. भूमि प्रार्थी के खातेदारी की है। जिस पर पहुचने का सेटलमेन्ट पूर्व आराजियात पर पहुचने के लिए एक मार्ग था। बाद सेटलमेन्ट जो नक्शा ट्रेस राजस्व कर्मचारियों ने बनाया था। उसमें गत सेटलमेन्ट के राजस्व रेकार्ड में तरमीम रास्ते को नही दर्शाया है। अतः प्रार्थी का प्रा.पत्र स्वीकार फरमाया जाकर सेटलमेन्ट के पूर्व नक्शा ट्रेस अनुसार वर्तमान नक्शा ट्रेस में रास्ते की तरमीम किये जाने का आदेश फरमाया जावे। इस पर पैरोकार तहसीलदार ने अपनी बहस में इस प्रकार से निवेदन किया है कि प्रार्थी की आराजियात पर पहुंचने हेतु सेटलमेन्ट के गत आराजी में कौन से आराजी में रास्ता था। व सेटलमेन्ट के बाद उक्त रास्ता का रकबा कौन से आराजी में सम्मिलित कर दिया गया प्रा.पत्र में अंकन नही किया गया है। यदि

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
रास्ते का अंकन वर्तमान रेकार्ड मे किया जाता है तो किस आराजियात मे से रकबा रास्ते का कम होगा। यह स्पष्ट नही है। अत: प्रा॰पत्र खारिज किया जावे। प्रकरण मे उभय पक्ष की बहस सुने जाने के पश्चात प्रकरण का अवलोकन किया गया। पैरोकार तहसीलदार बेगू की बहस से हम सहमत है। प्रार्थी ने अपने प्रा॰पत्र मे स्पष्ट नही किया है। किस आराजी मे तरमीम कि जावे। अत: प्रार्थी का प्रा॰पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।	